न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0 सं0 08/2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बर:2023/33) पीठासीन अधिकारी:— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. मोहन सिह
2. पदम सिंह
3. भीम सिंह

} पुत्रगण बनैं सिह जातियान ठाकुर नि0 कस्बा डीग तहसील डीग (डीग) राज0

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

—अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,</u>

निर्णय

दिनांकः 10.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 86/0.25, वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग में स्थित है। प्रार्थीगण के पिता बनैं सिंह 3/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे और प्रार्थीगण के पिता बनैं सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी खातेदारी की आराजी में प्रार्थीगण का नाम जरिये विरासत दर्ज किया गया था और खसरा नम्बर 87 में प्रार्थीगण के पिता का नाम बनैं सिंह दर्ज विरासत के अनुसार किया गया था, लेकिन खसरा नम्बर 86 की जमाबन्दी सम्बत 2070 लगायत 2073 में प्रार्थीगण के पिता का नाम उक्त 3/4 हिस्सा की आराजी पर दर्ज नहीं किया था केवल खेवट खतौनी संख्या 148 में पदम सिंह, मोहन सिंह, भीम सिंह हिस्सा 3/4 दर्ज किया था और प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं किया था और जमाबन्दी सम्बत 2074 लगायत 2077 में प्रार्थीगण का नाम खेवट खतौनी संख्या 248 के क्रम संख्या 8 पर पदम सिंह पुत्र शंकर हिस्सा 23/4544, क्रम संख्या 9 पर भीम पुत्र शंकर हिस्सा 23/4544, क्रम संख्या 12 पर मोहन सिंह पुत्र शंकर हिस्सा 23/4544, दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम शंकर गलत प्रकार से दर्ज कर दिया था। जबकि उक्त जमाबन्दी सम्बत 2074 लगायत 2077 में बनैं सिंह दर्ज करना चाहिए था जोकि नहीं किया गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार फरमाया जाकर खेवट खतौनी संख्या 48 सम्बत 2074 लगायत 2077 की जमाबन्दी के खसरा नम्बर 86 में क्रम संख्या 8,9,12 पर प्रार्थीगण के पिता का नाम शंकर के स्थान पर बनैं सिंह दर्ज किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एल.आर./2023/728 दिनांक 14.03.2023 में अंकित किया गया है कि "ग्राम अचलपुर तहसील डीग में नामान्तरकरण संख्या 522 दिनांक 08.08.2012 जरिये विरासत दर्ज करते समय सहवन से पदम सिंह,मोहन सिंह,भीम सिंह के पिता बनैं सिंह दर्ज करने से छूट गया। जबकि नामा0 में वर्णित सजरा में बनैं सिंह का नाम

उपखण्ड अधिकारी
डीग(डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दर्शित करते हुए पदम सिंह,मोहन सिंह,भीम सिंह को बनैं सिंह का वारिस दर्शाया गया है। उक्त नामा0 का जमाबन्दी में अमल करने पर खसरा नम्बर 86 पर पदम सिंह,मोहन सिंह,भीम सिंह के पिता का नाम नहीं दर्शाया गया है। जबकि जमाबन्दी खसरा नम्बर 87 पर पदम सिंह, मोहन सिंह,भीम सिंह के पिता का नाम बनैं सिंह अंकित है। मुताविक नामा0 संख्या 522 अंकित सजरा एवं मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने भी प्रार्थीगण के पिता का नाम बनैसिंह ही वताया गया है।''

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि खेवट खतौनी संख्या 48 सम्बत 2074 लगायत 2077 की जमाबन्दी के खसरा नम्बर 86 में क्रम संख्या 8,9,12 पर प्रार्थीगण के पिता का नाम शंकर के स्थान पर बनैं सिंह दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमायें।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार डीग की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 86/0.25, वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग में स्थित है। प्रार्थीगण के पिता बनैं सिंह 3/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे और प्रार्थीगण के पिता बनैं सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी खातेदारी की आराजी में प्रार्थीगण का नाम जरिये विरासत दर्ज किया गया था और खसरा नम्बर 87 में प्रार्थीगण के पिता का नाम बनैं सिंह दर्ज विरासत के अनुसार किया गया था, लेकिन खसरा नम्बर 86 की जमाबन्दी सम्बत 2070 लगायत 2073 में प्रार्थीगण के पिता का नाम उक्त 3/4 हिस्सा की आराजी पर दर्ज नहीं किया था केवल खेवट खतौनी संख्या 148 में पदम सिंह, मोहन सिंह, भीम सिंह हिस्सा 3/4 दर्ज किया था और प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं किया था और जमाबन्दी सम्बत 2074 लगायत 2077 में प्रार्थीगण का नाम खेवट खतौनी संख्या 248 के क्रम संख्या 8 पर पदम सिंह पुत्र शंकर हिस्सा 23/4544, क्रम संख्या 9 पर भीम पुत्र शंकर हिस्सा 23/4544, क्रम संख्या 12 पर मोहन सिंह पुत्र शंकर हिस्सा 23/4544, दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम शंकर गलत प्रकार से दर्ज कर दिया था। जबकि उक्त जमाबन्दी सम्बत 2074 लगायत 2077 में बनैं सिंह दर्ज करना चाहिए था जोकि नहीं किया गया। ऐसी स्थिति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार फरमाया जाकर खेवट खतौनी संख्या 48 सम्बत 2074 लगायत 2077 की जमाबन्दी के खसरा नम्बर 86 में क्रम संख्या 8,9,12 पर प्रार्थीगण के पिता का नाम शंकर के स्थान पर बनैं सिंह दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 86/0.25, वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग में स्थित है में खेवट खतौनी संख्या 48 सम्बत 2074 लगायत 2077 की जमाबन्दी के खसरा नम्बर 86 में वर्णित क्रम संख्या 8,9,12 पर प्रार्थीगण के पिता का नाम शंकर के स्थान पर बनैं सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner